कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

तथ्यात्मक टिप्पणी

विषयः– पीडब्ल्यूडी ने रोके आरएसआरडीसी के 460 करोड के कार्य।

आरएसआरडीसी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष (2018–19) में मार्जिन मनी के पैटे राशि रू0 121.52 करोड एवं वर्ष 2017–18 की एन्यूटी के पेटे राशि रू0 92.96 करोड (कुल 214.48 करोड) की मांग की गयी थी। उसी अनुरूप मार्जिन मनी आरएसआरडीसी को भुगतान/हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये गये, परन्तु पर्याप्त बजट प्रावधान न होने के कारण वित्त विभाग द्वारा राशि भुगतान/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019–20) में एसआरएफ मद में राशि रू0 1070.0 करोड का बजट प्रावधान है, जिसके एवज में प्रगतिरत कार्यों के पेटे राशि रू0 3314.00 करोड की देनदारियां है। जिसमें से वर्तमान तक राशि रू0 832.00 करोड का व्यय किया जा चुका है, एवं आरएसआरडीसी के अतिरिक्त राशि रू0 480.00 करोड की देनदारियां लम्बित है। इससे स्पष्ट है कि देनदारियों के हिसाब से अत्यन्त कम बजट प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरएसआरडीसी को मार्जिन मनी के पेटे राशि रू0 51.98 करोड का भुगतान किया जा चुका है एवं बजट उपलब्धतानुसार शेष कार्यों के भुगतान स्वीकृति हेतु राशि रू0 26.11 करोड के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जा चुके है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एसआरएफ मद में पर्याप्त बजट प्रावधान उपलबध न होने के कारण आरएसआरडीसी को मार्जिन मनी एवं एन्यूटी का पूर्ण भुगतान किया जाना संभव नहीं है। विभाग द्वारा एसआरएफ मद में राशि रू0 1000.00 करोड के अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जा चुके है, जिसकी स्वीकृति उपरान्त ही आरएसआरडीसी को शेष भुगतान किया जाना संभव हो पायेगा।

21.10.19
(मनवर अली)
अधीक्षण अभियन्ता (प)
सा0नि0वि, राज0 जयपुर

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA